

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(15)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यह पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ २४७

दिनांक: १०/०५/१३

०७५२१-२७४२९०

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री ऊँड़ापति सरकार ग्रुप ऑफ कॉलेज इन्डरग्रैड, दतिया () को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित डी.ए. प्रथम, अति.विषय - (ट्रिन्डी, सैन्यविज्ञान) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. ए.के. सिंह, आचार्य, पुरातत्व अ.शा., जी.वि.वि., ज्वा.
2. प्रो. निलय, गोस्वामी, आचार्य, स्नाकोत्तर महाविद्यालय दतिया
3. प्रो. राजेन्द्र, सिंह, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अ.शा., जी.वि.वि., ज्वा.

(संयोजक)

()

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिजेन्च तथा ऐस्ट्रोलोजी ग्रन्ति की पूर्ति तथा संस्थान के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वाया 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वाया दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त ज होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्धदण्ड जमा कराकर बीवीन समिति गतिकी जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अवश्यक होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छांगों को प्रवेश देना अपैथानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यस्त अशीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वाया देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ग्रामार्थ/अधिकारी, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)